

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/00004

बृजलाल पुत्र मनीराम जाति राइका निवासी रामका तहसील रावतसर जिला  
हनुमानगढ़।

—अपीलांत

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोजेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
विरुद्ध निर्णय दिनांक 29.10.2020, प्र. सं. 71/2020  
अनवान बृजलाल बनाम स्टेट आदि  
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

उपस्थित:-

श्री मदनमोहन जोशी अभिभाषक अपीलाण्ट  
श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 24.11.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 आरटीएक्ट में एक प्रार्थना-पत्र पेश किया कि प्रार्थी के नाम रोही मोजा रामका के खसरा नं. 1357/951 की 6.325 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में रही है एवं आज भी इस पर काश्त है। वर्षा में काश्त नहीं होने की सूरत में व अकाल पड़ने की वजह से सायल के पिता के द्वारा रोजी रोटी के लिए अन्यत्र जाने की सूरत में अपरिहार्य कारण से रकबा राज दर्ज हो गया। वर्तमान जमाबन्दी में गलत रूप से रकबाराज दर्ज चल रहा है जिससे वादी के हितों का हनन होता है। रिकार्ड में रकबा राज दर्ज होने के कारण अप्रार्थी प्रार्थी को भूमि से बेदखल करना चाहता है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी को अपूर्ण्य क्षति होगी। प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि से बेदखल न करने व तावान की कार्यवाही नहीं करने तथा मौका रिकार्ड की यथास्थिति रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा।

2. अप्रार्थी स्टेट ने प्रार्थना-पत्र का विरोध किया और प्रश्नगत भूमि को जोहड़ पायतन की भूमि बताया एवं जोहड़ पायतन की भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थना-पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने



*Law*

राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़

प्रार्थना-पत्र एवं जवाब प्रार्थना-पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी नियमानुसार आवंटित की गयी थी, जिसपर प्रार्थी का आवंटन की दिनांक से लगातार कब्जा काश्त है। प्रश्नगत भूमि नये खसरो में परिवर्तित हो गई। नियमानुसार आवंटन बाद गुजरने मियाद गैर खातेदारी में तब्दील हो चुका है जिससे प्रार्थी के खातेदारी हकूक की घोषणा करवाने का अधिकारी है। सहवन से प्रार्थी के नाम की जगह रकबा राज लिखा गया जिसका प्रार्थी के हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रार्थी बतौर मालिक काबिज रहा है जो 1968 से लगातार काबिज चला आ रहा है। रकबा राज दर्ज होने से अपीलाण्ट को कब्जा से बेदखल किया जा सकता है जिससे अपीलाण्ट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपीलाण्ट के आसपास का समस्त रकबा काश्त हो रहा है कुछ का खातेदारी हो चुका है जहां आसपास न तो कोई जोहड़ है व ना ही कोई पायतन है। इस ओर अधीनस्थ न्यायालय का ध्यान ही नहीं गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने 1974 आरआरडी पेज 475, 2016, (1) आरआरटी पेज 624, एवं डीबी सीविल रिट नं. 13912/2018 राज. उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.10.2018 प्रस्तुत किये।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गैरमुमकिन जोहड़ पायतन की भूमि है तथा वर्तमान में भी प्रश्नगत रकबा जोहड़ पायतन दर्ज है जोहड़ पायतन की भूमि किसी को भी आवंटित नहीं की जा सकती है। उपरोक्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व जब साबिका खसरा में थी तब भी जोहड़ पायतन गै० मु० दर्ज थी और जोहड़ पायतन की भूमि को अपीलाण्ट आवंटन करवाने का अधिकारी नहीं है। इस भूमि में वर्षा का पानी एकत्रित होता है जिसका आम मनुष्य व पशु उपयोग करते हैं। सेटलमेंट विभाग को रिकार्ड ऑफ राईट में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था तथा ना ही सेटलमेंट विभाग को भूमि आवंटन करने का अधिकार। ऐसी स्थिति में सेटलमेंट विभाग द्वारा ऐसा कोई भी इन्द्राज किया गया है तो वह मात्र भूलवश है। आरटीएक्ट की धारा 16 में प्रवधान है कि गैरमुमकिन जोहड़ पायतन की भूमि पर कोई भी व्यक्ति खातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता है क्योंकि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने बहुत से निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि गै० मु० जोहड़ पायतन की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है क्यों कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Lano

राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित प्रतियाँ होने एवं प्रकरण के निस्तारण में अहम दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।
8. जहाँ तक गुणावुण का प्रश्न है, अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत रकबा उसे आवंटित किया गया है जो सहवन से रकबाराज दर्ज कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन की भूमि है तथा आरटीएक्ट की धारा 16 के तहत गैरमुमकिन जोहड़ पायतन की भूमि पर कोई व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के द्वारा भी यह यह रकबा प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।
9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



24/11/21  
(करतारसिंह पूनिया)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़